

INDEX

Sr. No.	Particular	Page No.
1.	DFO covering letter and point wise compliance report	1-4
2.	Compliance report submitted by user agency	5-8
3.	Undertaking for no changes in legal status of diverted forest land	9
4.	Undertaking for use of forest land	10
5.	Undertaking for not cause any damage to flora & fauna and conservation of same	11
6.	Undertaking for no cutting of trees	12
7.	Undertaking for not establishment of labour camp in forest area	13
8.	Undertaking for alternate fuel	14
9.	Undertaking not engage in activity of sand & stone quarrying /loading	15
10.	Undertaking to follow the guidelines for laying transmission line	16
11.	Compensation for medicinal plantation	17
12.	FRA Certificate original enclosed and proceeding of FRA meeting .	18-32
13.	Undertaking for compensatory afforestation	33
14.	Undertaking to pay Net Present Value of forest area	34
15.	Undertaking to pay any increase in Net Present Value of forest area	35
16.	This permission accorded by the state government can be monitored by the concerned RO, MOEF, Govt. of India	36-37
17.	Newspaper publication by user agency	38-39
18.	Authorisation letter	40



राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email : def.sikar.forest@rajasthan.gov.in, defsikar@gmail.com)

क्रमांक : एफ ()एफसीए/उवसंसी/2022-23/ 14290

दिनांक : 28/12/22

निमित्त:- मुख्य वन संरक्षक,
अरावली भवन,
जयपुर।

विषय :-Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh Line at 132 KV GSS
Rasidpura, District- Sikar.


(Proposal no. FP/RJ/TRANS/148624/2021)

संदर्भ :-राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक के पत्रांक प.1 (25) वन/2022 जयपुर दिनांक
13.04.2022 एवं यूजर एजेंसी द्वारा दिनांक 21.12.2022 को प्रस्तुत पालना रिपोर्ट के क्रम
में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि वन भूमि प्रस्ताव
FP/RJ/TRANS/148624/2022 में राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (25) वन/2022 जयपुर, दिनांक
13.04.22 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम
लिमिटेड, खण्ड-सीकर द्वारा पत्रांक 384 दिनांक 21.12.2022 को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित की
है:-

S. N.	Conditions of Stage-I approval	Compliance
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	The Legal status of the forest land shall not be changed (undertaking enclosed, Condition-I)
2.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	The forest land will not be used for any purpose (undertaking is enclosed. Condition-II)
3.	Petitioner department will not cause any damage to flora and fauna of surrounding areas during construction and maintenance activities and will take measures for conservation of same.	Undertaking for not cause any damage to flora and fauna and conservation of same (undertaking enclosed, Condition-III)
4.	No tree cutting shall be involved in the diverted area without prior permission of forest department, in the said area, when the planted trees become mature, they will be property of the Forest Department.	Undertaking for no tree cutting shall be involved (undertaking enclosed, Condition-IV)
5.	No labour camp shall be established on the	Undertaking not to establish any



	forest land or surrounding proposed area by user agency/labour/staff.	labour camp in forest land is enclosed (undertaking enclosed, Condition-V)
6.	User agency shall be providing alternate fuel like LPG/kerosene oil to the labourer/staff during construction work, so that the adjacent forests are not damaged.	Undertaking for alternative fuel is enclosed (undertaking enclosed, Condition-VI)
7.	User agency will not engage in activity of sand /stone quarrying /loading in forest area other than the area proposed.	Undertaking to not engage in activity of sand /stone quarrying /loading (undertaking enclosed, Condition-VII)
8.	The User Agency shall comply with all the provisions of all act, rules, regulations, and guidelines implemented on the project in the present and future.	Undertaking for follow the guidelines is enclosed. (undertaking enclosed, Condition-VIII)
9.	The Deputy Conservator of forest with consultation of the Chief Conservator of forest prepare a detailed scheme for plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line at the cost of user agency for the plantation.	The compensation for Additional CA for medicinal plantation for the Rs. 320119/- (in word three lakh twenty thousand one hundred nineteen only) has been deposited through e-challan UTR No. SBIN122154482491 Rajasthan CAMPA on dt. 03.06.2022 By Rajasthan Rajya Vidyut Parsaran Nigam Ltd. Sikar Application No. 64148624334 MoEF / SG file No. 1(25)FOREST/2022 in the account No. 1508564148624334 of Rajasthan CAMPA (Bank details - Union Bank of India Lodhi Complex Branch, Block 11, Lodhi Road New Delhi-110003. Challan copy enclosed. If there is an increase in medicinal plantation in future, the user agency will deposit the same.
10.	Compliance of In-principle approval with FRA certificated shall be submitted by User agency thereafter considers for due/final approval.	The complete compliance of the FRA 2006 has been ensured by way of prescribed certificate from the concern District collector is enclosed.
11.	At the expense of the user agency, 100 trees will be planted in case of fall of zero to ten trees and in case of fall of more than 10 trees, ten	The compensation amount against the compensatory afforestation (0.50 ha.) degraded forest land for 10 year



	<p>times the number of trees to be felled will be Plantation and maintained for 10 years. For this, the user agency will deposit the amount by incorporating the current rates through e-Challan created through the web portal . OSMFWP(Online submission and monitoring of forest & Wildlife Clearance Portal).</p>	<p>as per demand note Rs. 104825/- (in word one lakh four thousand eight hundred twenty five only)) has been deposited through e-challan UTR No. SBIN122154482491 Rajasthan CAMPA on dt. 03.06.2022 By Rajasthan Rajya Vidyut Parsaran Nigam Ltd. Sikar Application No. 64148624334 MoEF / SG file No. 1(25) FOREST/2022 in the account No. 1508564148624334 of Rajasthan CAMPA (Bank details- Union Bank of India /New Delhi Lodhi complex) Challan enclosed. If there is an increase in compensatory afforestation in future, the user agency will deposit the same.</p>
12.	<p>The User agency will deposit N.P.V as order by Hon'ble supreme court in writ petition (Civil) 2002/1995 under I.A. No. 566 & Government of India letter No. 5-3/2007 –FC dated 05.02.2009 and letter No. 12-2/2010 CAMPA dated 09.06.2016. N.P.V. and others funds as instructed above will be deposited through e-challan generated at compensatory afforestation fund management and challan of deposit amount / UTR No. / Copy of NEFT along with compliance report of the in-principle (which contain head wise detail of the deposited amount) should be submitted, where upon application will be consider for approval.</p>	<p>The Net Present value for the Rs. 98268/- (in word ninety eight thousand two hundred sixty eight only) has been deposited through e-challan UTR No. SBIN122154482491 Rajasthan CAMPA on dt. 03.06.2022 By Rajasthan Rajya Vidyut Parsaran Nigam Ltd. Sikar Application No. 64148624334 MoEF / SG file No. 1(25)FOREST/2022 in the account No. 1508564148624334 of Rajasthan CAMPA (Bank details - Union Bank of India / New Delhi Lodhi complex) Challan enclosed. If there is an increase in N.P.V. in future, the user agency will deposit the same.</p>
13.	<p>User Agency will submit a declaration that any upward revision in N.P.V. rate by competent authority will be deposited by the user agency.</p>	<p>Undertaking for Additional amount of NPV (undertaking enclosed Condition-XIII)</p>
14.	<p>This permission accorded by the state government can be monitored by the concerned regional office the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India.</p>	<p>This permission accorded by the state government can be monitored by the concerned regional office the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India.</p>
15.	<p>The User Agency is directed to comply order</p>	<p>The approval published on dated</p>

dated 07.11.2012 issued by the Hon'ble Green Tribunal vide letter no. 7-23 /2012/FC dated 24.07.2013 and the user agency shall Publish this approved in one Hindi & one English news paper and shall make available copy of this approved to local body, Gram Panchayat and Nagar Palika within 30 days of approval.	23.04.2022 (one Hindi & one English news paper) copy enclosed. The copies of approval have been submitted to the local body, Gram Panchayat and Nagar Palika.
--	---

संलग्न:-उक्तानुसार (03 मूल सेट)

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)
उप वन संरक्षक,
सीकर
दिनांक :

कमांक : एफ ()एफसीए/उवसंसी/2022-23/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, एफसीए, जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, खण्ड-सीकर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सीकर।

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)
उप वन संरक्षक,
सीकर



RVPN
An ISO 9001:2015
Certified Company

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD.

[Corporate Identity Number (CIN):U40109RJ2000SGC016485]

Regd. Office: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur-302005

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C)

Sabalpura, Fatehpur Road, Sikar (Raj.) Pin- 332001

Ph. No. 01572-299133, Mo. No. 9413393977

E-mail:-xen.tnc.sikar@rvpn.co.in, Website: www.energy.rajasthan.gov.in/rvpn

No. - RVPNL / XEN / T&C / Sikar / / F.- Forest / D- 384 Dated 21/12/2022

The Deputy Conservator of forest
Distt. Sikar (Raj)

Subject: - Diversion of 0.1026 ha. Of forest land in favour of Rajasthan Rajya Vidhyut Parsaran Nigam Ltd. Sikar for Work of "Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan"

Ref:- क्रमांक: प. 1 (25) वन /2022 जयपुर दिनांक 13 अप्रैल 2022

R/Sir

On the above cited subject and reference it is submitted that the forest proposal No. FP/RJ/TRANS/148624/2021 has been approved vide क्रमांक: प. 1 (25) वन /2022 जयपुर दिनांक 13 अप्रैल 2022 by Governing Secretary, Department of forest Government of Rajasthan , Jaipur. The point wise (1 to 15) compliance of above In-principle approval is submitted as bellow:

S. N.	Conditions of Stage-II approval	Compliance
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	The Legal status of the forest land shall not be changed (undertaking enclosed, Condition-I)
2.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	The forest land will not be used for any purpose (undertaking is enclosed. Condition-II)
3.	Petitioner department will not cause any damage to flora and fauna of surrounding areas during construction and maintenance activities and will take measures for conservation of same.	Undertaking for not cause any damage to flora and fauna and conservation of same (undertaking enclosed, Condition-III)

e.s'
(सीनेक सिंह कुणियां)
उप वन संरक्षक
सिकर

Prakash
(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Sikar

4.	No tree cutting shall be involved in the diverted area without prior permission of forest department, in the said area, when the planted trees become mature, they will be property of the Forest Department.	Undertaking for no tree cutting shall be involved (undertaking enclosed, Condition-IV)
5.	No labour camp shall be established on the forest land or surrounding proposed area by user agency/labour/staff.	Undertaking not to establish any labour camp in forest land is enclosed (undertaking enclosed, Condition-V)
6.	User agency shall be providing alternate fuel like LPG/kerosene oil to the labourer/staff during construction work, So that the adjacent forests are not damaged.	Undertaking for alternative fuel is enclosed (undertaking enclosed, Condition-VI)
7.	User agency will not engage in activity of sand /stone quarrying /loading in forest area other than the area proposed.	Undertaking to not engage in activity of sand /stone quarrying /loading (undertaking enclosed, Condition-VII)
8.	The User Agency shall comply with all the provisions of all act, rules, regulations, and guidelines implemented on the project in the present and future.	Undertaking for follow the guidelines is enclosed. (undertaking enclosed, Condition-VIII)
9.	The Deputy Conservator of forest with consultation of the Chief Conservator of forest prepare a detailed scheme for plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line at the cost of user agency for the plantation.	The compensation for Additional CA for medicinal plantation for the Rs. 320119/- (in word three lakh twenty thousand one hundred nineteen only) has been deposited through e-challan UTR No. SBIN122154482491 Rajasthan CAMPA on dt. 03.06.2022 By Rajasthan Rajya Vidyut Parsaran Nigam Ltd. Sikar Application No. 64148624334 MoEF / SG file No. 1(25)FOREST/2022 in the account No. 1508564148624334 of Rajasthan CAMPA (Bank details - Union Bank of India Lodhi Complex Branch, Block 11, Lodhi Road New Delhi-110003. Challan copy enclosed. If there is an increase in medicinal plantation in future, the user agency will deposit the same.
10.	Compliance of In-principle approval with FRA certificated shall be submitted by User agency thereafter considers for due/final approval.	The complete compliance of the FRA 2006 has been ensured by way of prescribed certificate from the concern District collector is enclosed.

C.S.

(वीरेन्द्र सिंह कुण्डिया)

A. Prakash

(Um Prakash)

Executive Engineer (T&C)

R.R.V.P.N.L., Sikar

11.	At the expense of the user agency, 100 trees will be planted in case of fall of zero to ten trees and in case of fall of more than 10 trees, ten times the number of trees to be felled will be Plantation and maintained for 10 years. For this, the user agency will deposit the amount by incorporating the current rates through e-Challan created through the web portal OSMFWP(Online submission and monitoring of forest & Wildlife Clearance Portal).	The compensation amount against the compensatory afforestation (0.50 ha.) degraded forest land for 10 year as per demand note Rs. 104825/- (in word one lakh four thousand eight hundred twenty five only)) has been deposited through e-challan UTR No. SBIN122154482491 Rajasthan CAMPA on dt. 03.06.2022 By Rajasthan Rajya Vidyut Parsaran Nigam Ltd. Sikar Application No. 64148624334 MoEF / SG file No. 1(25) FOREST/2022 in the account No. 1508564148624334 of Rajasthan CAMPA (Bank details- Union Bank of India /New Delhi Lodhi complex) Challan enclosed. If there is an increase in compensatory afforestation in future, the user agency will deposit the same.
12.	The User agency will deposit N.P.V as order by Hon'ble supreme court in writ petition (Civil) 2002/1995 under I.A. No. 566 & Government of India letter No. 5-3/2007 -FC dated 05.02.2009 and letter No. 12-2/2010 CAMPA dated 09.06.2016. N.P.V. and others funds as instructed above will be deposited through e-challan generated at compensatory afforestation fund management and challan of deposit amount / UTR No. / Copy of NEFT along with compliance report of the in-principle (which contain head wise detail of the deposited amount) should be submitted, where upon application will be consider for approval.	The Net Present value for the Rs. 98268/- (in word ninety eight thousand two hundred sixty eight only) has been deposited through e challan UTR No. SBIN122154482491 Rajasthan CAMPA on dt. 03.06.2022 By Rajasthan Rajya Vidyut Parsaran Nigam Ltd. Sikar Application No. 64148624334 MoEF / SG file No. 1(25)FOREST/2022 in the account No. 1508564148624334 of Rajasthan CAMPA (Bank details - Union Bank of India / New Delhi Lodhi complex) Challan enclosed. If there is an increase in N.P.V. in future, the user agency will deposit the same.
13.	User Agency will submit a declaration that any upward revision in N.P.V. rate by competent authority will be deposited by the user agency.	Undertaking for Additional amount of NPV (undertaking enclosed Condition-XIII)
14.	This permission accorded by the state government can be monitored by the concerned regional office the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India.	Pertain to DCF office Sikar

C.S.
 (वीरेंद्र सिंह कुण्डियां)
 जल वन संरक्षण

(Signature)
 (Om Prakash)
 Executive Engineer (T&C)
 R B V.N.L., Sikar

15.	The User Agency is directed to comply order dated 07.11.2012 issued by the Hon'ble Green Tribunal vide letter no. 7-23 /2012/FC dated 24.07.2013 and the user agency shall Publish this approved in one Hindi & one English news paper and shall make available copy of this approved to local body, Gram Panchayat and Nagar Palika within 30 days of approval.	The approval published on dated 23.04.2022 (one Hindi & one English news paper) copy enclosed. The copies of approval have been submitted to the local body, Gram Panchayat and Nagar Palika.
-----	--	---

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under section-2 of the Forest Conservation Act. 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

C.S.

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)
उप वन संरक्षक
सीकर

(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Sikar

Condition-1

Full Title of the Project : Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan
 File No. : FP/RJ/TRANS/148624/2021
 Date of Proposal : 26.10.2021
 Applied Area : 0.1026 ha.

UNDERTAKING FOR NO CHANGE'S IN LEGAL STATUS OF DIVERTED FOREST LAND

It is to certify that I/We **Om Prakash**, Executive Engineer, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Sikar, (Raj.) have applied for the proposal of "Diversion of 0.1026 Ha. Forest Land for Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan.


I/we hereby undertakes that "there is no change in Legal Status of diverted Forest Land during Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan


It is further stated that there will not be any change in the legal status of the diverted forest land".

Place: Sikar

Date: 21/12/22

C.S.


 Signature of User Agency
Om Prakash
 Office Seal
 Executive Engineer (T&C)
 R.R.V.P.N.L., Sikar


 (वीरेंद्र सिंह कृष्णिया)
 उप वन संरक्षक
 सीकर

Counter signed by:-
 Deputy Conservator of forest
 Sikar
 Office Seal _____

Condition-II

Full Title of the Project: Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan

File No. : FP/RJ/TRANS/148624/2021
 Date of Proposal : 26.10.2021
 Applied Area : 0.1026 ha.

UNDERTAKING FOR USE OF LAND FOR SPECIFIED PROJECT

It is to certify that I/We **Om Prakash**, Executive Engineer, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Sikar, (Raj.) have applied for the purpose "Diversion of 0.1026 Ha. Forest Land for Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan.

I / we, the user agency hereby undertakes that "I / we will not use the Diverted Forest Land for other Activity / Purpose except for construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan.

Place: Sikar

Date: 21.12.22

Signature of User Agency

Office Seal

(Om Prakash)

Executive Engineer (T&C)

R.R.V.P.N.L., Sikar

C.S.

(कीरेन्द्र सिंह कुण्डिया)
 उप वन संरक्षक
 सीकर

Counter signed by:-

Deputy Conservator of forest

Sikar

Office Seal _____

11
Condition-III

Full Title of the Project: Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan

File No. : FP/RJ/TRANS/148624/2021
Date of Proposal : 26.10.2021
Applied Area : 0.1026 ha.


UNDERTAKING FOR NO DAMAGE TO FLORA AND FAUNA

It is to certify that I/We **Om Prakash**, Executive Engineer, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Sikar, (Raj.) have applied for the proposal of "Diversion of 0.1026 Ha. Forest Land for Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan.


I/we hereby undertakes that " We shall not damage to the flora & fauna and will take measures for conservation of same during Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan.

Place: Sikar

Date: 21.12.22


Signature of User Agency
Office Seal
(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Sikar

C.S.


(कीरेन्द्र सिंह कुमिया)
उप वन संरक्षक
सीकर

Counter signed by:-
Deputy Conservator of forest
Sikar
Office Seal _____

Condition-IV

Full Title of the Project: Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan

File No. : FP/RJ/TRANS/148624/2021

Date of Proposal : 26.10.2021

Applied Area : 0.1026 ha.


UNDERTAKING FOR NO CUTTING OF TREE

It is to certify that I/We **Om Prakash**, Executive Engineer, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Sikar, (Raj.) have applied for the proposal of "Diversion of 0.1026 Ha. Forest Land for Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan .

I/we hereby undertakes that "We shall not felled any trees during Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, in the diverted area without prior permission of forest department, in the said area, when the planted trees become mature, they will be property of the Forest Department.


Place: Sikar

Date: 21.12.22


Signature of User Agency

Office Seal
(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Sikar

C.S.


(मीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)
उप वन संरक्षक
सीकर

Counter signed by:-
Deputy Conservator of forest
Sikar
Office Seal _____

Condition-V

Full Title of the Project: Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan

File No. : FP/RJ/TRANS/148624/2021
 Date of Proposal : 26.10.2021
 Applied Area : 0.1026 ha.

**UNDERTAKING FOR
 NOT ESTABLISHMENT OF LABOUR CAMP IN FOREST AREA**

It is to certify that I/We **Om Prakash**, Executive Engineer, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Sikar, (Raj.) have applied for the purpose of "Diversion of 0.1026 Ha. Forest Land for Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan .

I/We, hereby undertake that "No camp shall be established on the forest land or surrounding proposed area by user agency / labour / staff during Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan.

Place: Sikar

Date: 29.12.22



(Om Prakash)

Executive Engineer (T&C)

R.R.V.P.N.L. Sikar

Signature of User Agency
Office Seal

C.S.


 (वीरेंद्र सिंह कुमियायके)
 उप वन संरक्षक
 सीकर

Counter signed by:-
 Deputy Conservator of forest
 Sikar
 Office Seal _____

14

Condition-VI

Full Title of the Project: Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan

File No. : FP/RJ/TRANS/148624/2021

Date of Proposal : 26.10.2021

Applied Area : 0.1026 ha.

UNDERTAKING FOR ALTERNATE FUEL

It is to certify that I/We **Om Prakash**, Executive Engineer, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Sikar, (Raj.) have applied for the purpose of "Diversion of 0.1026 Ha. Forest Land for Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan .

I/We, hereby undertake that "We will provide alternate fuel like LPG/kerosene oil to the labourer / staff during Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan, So that the adjacent forests are not damaged.

Place: Sikar

Date: 21.12.22

Om Prakash
(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Sikar
Signature of User Agency
Office Seal

C.S.

←
(वीरेन्द्र सिंह कुणियां)
उप वन संरक्षक
सीकर

Counter signed by:-
Deputy Conservator of forest
Sikar
Office Seal _____

Condition-VII

Full Title of the Project: Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan

File No. : FP/RJ/TRANS/148624/2021

Date of Proposal : 26.10.2021

Applied Area : 0.1026 ha.

UNDERTAKING FOR NOT ENGAGE IN ACTIVITY OF SAND/STONE QUARRYING/LOADING

It is to certify that I/We **Om Prakash**, Executive Engineer, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Sikar, (Raj.) have applied for the purpose of "Diversion of 0.1026 Ha. Forest Land for construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan.

I/We, hereby undertake that "We will not engage in activity of sand /stone quarrying /loading in forest area other than the area proposed during construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District- Sikar, Rajasthan .

Place: Sikar

Date: 21/12/22

Om Prakash
(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Sikar
Signature of User Agency
Office Seal

C.S.

↙

(वीरेन्द्र सिंह कुषिया)
उप वन संरक्षक
सीकर

Counter signed by:-
Deputy Conservator of forest
Sikar
Office Seal _____

Condition-VIII

Full Title of the Project: Construction for L.I.O of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan

File No. : FP/RJ/TRANS/148624/2021
 Date of Proposal : 26.10.2021
 Applied Area : 0.1026 ha.

UNDERTAKING TO
FOLLOW THE GUIDELINES FOR LAYING TRANSMISSION LINE
THROUGH FOREST AREA ISSUED BY MINISTRY VIDE LETTER NO. 7-
25/2012-FC DATED 05/05/2014 AND 19/11/2014

It is to certify that I/We **Om Prakash**, Executive Engineer, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Sikar, (Raj.) have applied for proposal of "Diversion of 0.102 Ha. Forest Land for Construction for L.I.O of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar Rajasthan .

I/We, hereby undertake that " the guidelines for laying transmission lines through Forest Areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19.11.2014 has been followed during Construction for L.I.O of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan.

Place: Sikar

Date: 21.12.22

Om Prakash
 (Om Prakash)

Executive Engineer (T&C)

R.R.V.P.N.L., Sikar

Signature of User Agency

Office Seal

C.S.
 (वीरेन्द्र सिंह कुण्डियां)
 उप वन संरक्षक
 सीकर

Counter signed by:-

Deputy Conservator of forest

Sikar

Office Seal _____

Condition-IX

Full Title of the Project: Construction for L.I.O of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan

File No. : FP/RJ/TRANS/148624/2021

Date of Proposal : 26.10.2021

Applied Area : 0.1026 ha.


UNDERTAKING TO PAY COMPENSATION FOR MEDICINAL PLANTATION

It is to certify that I/We **Om Prakash**, Executive Engineer, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Sikar, (Raj.) have applied for proposal of "Diversion of 0.1026 Ha. Forest Land for Construction for L.I.O of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan.

We have deposited Compensation for medicinal plantation amount of Rs. 320119/- in compliance of condition No. 09 in CAMPA Fund through e-challan generated at compensatory afforestation fund management.

Place: Sikar


Date:


(Om Prakash)

Executive Engineer (T&C)

R.R.V.P.N.L., Sikar
Signature of User Agency

Office Seal

CS.

उप वन संरक्षक
सीकर (राज.)

Counter signed by:-

Deputy Conservator of forest

Sikar

Office Seal

(For Linear Projects other than Plantations)
 [Rule 6(3) (e) of Forest (conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Rajasthan
 Office of the District collector, Sikar

Sr.No...2815.....

Date : 20.12.2022

TO WHOM SO EVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the rule 6 (3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (conservation) second amendment rules 2014; and forest (conservation) Amendment rules 2016] it is certified that **0.1026 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of Executive Engineer, T&C, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Limited, Fatehpur Road, Sabalpur, Sikar for construction of Lilo 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh Line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar falls within the jurisdiction of village-Rasidpura Khasra No-588 in Tehsil- Dhod, District-Sikar. It is further certified that:

- The complete process of recognition and vesting of forest rights under the FRA has been carried out for the entire **0.1026 Hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as attachment to attachment
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA, 2006 has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- The proposed area does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl.: As above

Om Prakash
 (Om Prakash)
 Executive Engineer (T&C)
 R.R.V.P.N.L., Sikar

C.S.
 (वीरेन्द्र सिंह कुष्णिया)
 उप वन संरक्षक
 सीकर

2
 (Dr. Amit Yadav)
 District Collector Sikar

कार्यालय जिला कलक्टर सीकर

क्रमांक:- कल./जिपसी/वन/डाय./2022/2-817-

दिनांक 20/12/2022

एफ.आर.ए. की बैठक कार्यवाही विवरण

वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 25.11.2022 को दोपहर 10.30 बजे डॉ. अमित यादव, जिला कलक्टर, सीकर की अध्यक्षता में आयोजन किया गया जिसमें उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अभिशपित निम्न 02 प्रकरण डायवर्जन हेतु जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये गये। जिसका अनुमोदन हेतु निम्न 2 प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया।

क्र.सं.	प्रकरण का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर	संबंधित संस्था
1.	"Construction For LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura"	0.1026 हेक्टेयर	अधीक्षण अभियन्ता (टी एण्ड सी.) रा.रा.दि.प्र.नि.लि. सीकर जिला सीकर
2.	"Construction of Sikar- II - NEEMRANA 400 KV D/C TRANSMISSION LINE (TWINHTLS) DISTRICT-SIKAR, JHUNJHUNU, & ALWAR (RAJASTHAN) AT vilage-KHADAGBEEJPUR, NATHUWALA Tehsil- NEEMKATHANA, District- Sikar (Rajasthan)"	7.5486 हेक्टेयर	मुख्य प्रबंधक पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड सीकर

बैठक में निर्मांकित सदस्य उपस्थित रहे :-

1. डॉ. अमित यादव, जिला कलक्टर, सीकर।
2. डॉ. प्रतिभा उदय सरा अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर।
3. श्री विरन्ध विहृ कृष्णा उप वन संरक्षक, सीकर।
4. श्री महन्त प्रभात (SC) जिला परिषद सदस्य मु0पै0 आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5. श्री जन्तोय रमेश मोना (ST) जिला परिषद सदस्य ग्राम नम्बर 03 मु.पै. दरीबा तह. नीमकाथाना जिला सीकर।

(1) अधीक्षण अभियन्ता (टी एण्ड सी.) रा.रा.दि.प्र.नि.लि. सीकर जिला सीकर के द्वारा "construction For LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura" जिसका कार्य राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निर्माण निगम लिमिटेड सीकर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। कार्य रसीदपुरा के राजस्व ग्राम रसीदपुरा की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 588 रकबा 3.67 म.से. 0.1026 है0 हेक्टेयर वन भूमि के राजस्व ग्राम रसीदपुरा तहसील धोद जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/148624/2021 दिनांक 26.10.2021 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.1026 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को पत्रावली प्रस्तुत की गई थी। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व हित प्रभावित नहीं होने का प्रमाण पत्र वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने हेतु ग्राम पंचायत संबंधित की ग्राम सभा के द्वारा अदेय प्रमाण पत्र व बैठक कार्यवाही अविलम्ब भिजवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी धोद व विकास अधिकारी पं.स. धोद को पत्र लिखा गया था। अतः उपखण्ड अधिकारी धोद की उपखण्ड स्तरीय कमेटी बैठक की कार्यवाही व विकास अधिकारी धोद से ग्राम पंचायत रसीदपुरा की अनापत्ति प्रमाण-पत्र व ग्राम सभा की कार्यवाही प्राप्त हुई है। प्राप्त कार्यवाही के अनुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन से ऐसे किसी प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते हैं।


(2) मुख्य प्रबंधक पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड सीकर के द्वारा "Construction of Sikar- II - NEEMRANA 400 KV D/C TRANSMISSION LINE (TWINHTLS) DISTRICT-SIKAR, JHUNJHUNU, & ALWAR (RAJASTHAN) AT vilage-KHADAGBEEJPUR, NATHUWALA Tehsil- NEEMKATHANA, District- Sikar (Rajasthan)" जिसका मुख्य प्रबंधक (सीकर-II) पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड सीकर के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित लाईन के मध्य आने वाली वन क्षेत्र की भूमि के लाईन निर्माण कार्य में आ रही ग्राम खडग बिजपुर के राजस्व ग्राम खडग बिजपुर की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 156,184,267 व 399 कुल रकबा 37.6024 में से 4.8622 है0 वन भूमि के राजस्व ग्राम नाथुवाला वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 125,132,135,136,137, व 151 कुल रकबा 22.9200 में से 2.0364 है0 वन भूमि के राजस्व ग्राम खडग बिजपुर व ग्राम नाथुवाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/143945/2021 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 7.5486 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली हेतु पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को प्रस्तुत की गई है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व हित प्रभावित नहीं होने का प्रमाण पत्र वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने हेतु ग्राम पंचायत संबंधित की ग्राम सभा के द्वारा अदेय प्रमाण पत्र व बैठक कार्यवाही अविलम्ब भिजवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना व विकास अधिकारी पं.स. पाटन को पत्र लिखा गया था। अतः उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना की उपखण्ड स्तरीय कमेटी बैठक की कार्यवाही व विकास अधिकारी पाटन से ग्राम

(Am Prakash)


(सीकर-II)

पंचायत डोकन व दरौबा की अनापत्ति प्रमाण-पत्र व ग्राम सभा की बैठक कार्यवाही प्राप्त हुई है। प्राप्त कार्यवाही के अनुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन से ऐसे किसी प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते हैं।


उक्त प्रस्तावों में उल्लेखित भूमि में वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 में वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अधिकारों से संबंधित कोई दावा लम्बित नहीं होने तथा ऐसे किसी कृषक के हित प्रभावित नहीं होते हैं और ना ही कोई प्रकरण प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में भूमि प्रत्यावर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया जाता है।





(महेन्द्र प्रसाद)
जिला परिषद सदस्य
जिला परिषद, सीकर



(सन्तोष कुमार)
जिला परिषद सदस्य
जिला परिषद सीकर



(विवेन्द्र सिंह कृष्णिया)
उप वन संरक्षक
सीकर


(डॉ. प्रतिभा चोटासरा)
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद सीकर


(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
सीकर

C.S.


(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Sikar


(विवेन्द्र सिंह कृष्णिया)
उप वन संरक्षक
सीकर



कार्यालय ग्राम पंचायत रसीदपुरा

पं.स. धोद, जिला - सीकर

पूजा ओला
सरपंच
ग्राम पंचायत रसीदपुरा


नियाम :
हर्ष डंपरी के पीछे, NH-52,
रसीदपुरा - मो. 9929873120


क्रमांक : 78


दिनांक : 16/09/2022


प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 16-09-2022 (ग्राम सभा)

ग्राम सभा में सरपंच श्रीमति पूजा ओला ने अवगत करवाया कि श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति धोद का पत्रांक 60 दिनांक 19.01.2022 प्राप्त हुआ है जिसमें राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा Construction For LILO Of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh Line At 132 KV Gss Rashidpura के निर्माण हेतु खसरा न. 588 रकबा 3.67 है में से 0.1026 है। भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के अंतर्गत FRA के संबंध में ग्राम पंचायत रसीदपुरा की ग्राम सभा की बैठक में अनापति प्रमाण पत्र चाहा गया है। जिस पर ग्राम सभा की बैठक में सविस्तार चर्चा के दौरान यह अवगत हुआ है कि प्रस्तावित भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 में वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं आम परंपरागत वन निवासी का कोई भी दावा ग्राम पंचायत में लंबित नहीं है। तथा प्रस्तावित भूमि पर कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का वर्तमान में कोई निवास नहीं है तथा उनका कोई हित प्रभावित नहीं हो रहा है। ग्राम पंचायत रसीदपुरा की ग्राम सभा की बैठक द्वारा सदन में विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि ग्राम रसीदपुरा में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा Construction For LILO Of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh Line At 132 KV Gss Rashidpura के निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाना सर्वसम्मति से तय रहा।


ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत रसीदपुरा
पं.स. धोद (सीकर)


सरपंच
ग्राम पंचायत रसीदपुरा
पं.स. धोद (सीकर)


(Om Prakash)
Executive Engineer (T.R.C.)


(कीरेन्द सिंह कृष्णियां)
उप-वन-संरक्षक



कार्यालय ग्राम पंचायत रसीदपुरा

पं.स. धोद, जिला - सीकर

पञ्चायत
समिति
ग्राम पंचायत रसीदपुरा


नियंत्रण :
हरप डेयरी के पीछे, NH-52,
रसीदपुरा - मो. 9929873120


क्रमांक : ५४

दिनांक 16/09/2022

अनापत्ति प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा Construction For LILO Of 132 KV S/C Sikar Laxmangarh Line At 132 KV Gss Rashidpura के निर्माण हेतु खसरा न. 588 रकबा 3.67 है मे से 0.1026 है भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु दिनांक 16/09/2022 के प्रस्ताव संख्या 01 के निर्णय अनुसार यदि ग्राम रसीदपुरा मे उपरोक्त खसरा न. 588 रकबा 3.67 है मे से 0.1026 है भूमि के प्रत्यावर्तन किया जाता है तो ग्राम पंचायत रसीदपुरा को कोई आपत्ति नहीं है।


ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत रसीदपुरा
पं.स. धोद (सीकर)


सरपंच
ग्राम पंचायत रसीदपुरा
पं.स. धोद (सीकर)

C.S.


(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Sikar


(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)
उप वन संरक्षक
सीकर

ग्राम सभा 16/09/2022

भाज दिनांक 16/09/2022 को ग्राम पंचायत रसीदपुरा में ग्राम सभा का प्रायोजन श्रीमति पूजा ओला मी (सरपंच) महोदय की अध्यक्षता में प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम पूर्विक क कार्यावली को पढ़कर सुनाया गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। तत्पश्चात् निम्नांकित अलाय सर्वसम्मति से पारित किए गए।

- (1) श्रीमति पूजा ओला सरपंच Kojan
- (2) श्री भगवान लहाप मोहन प्रा. वि. अ. [Signature]
- (3) श्रीमति मित्रा देवी कनि. सहपाठ [Signature]
- (4) श्री रामकुमार शर्मा AAO रासिदपुर [Signature]
- (5) श्रीमति मंगेश कवर उपसरपंच [Fingerprint]
- (6) श्री कर्क मोहम्मद कनि. फये 03 कनि. मोहम्मद
- (7) " भंकर लाल कनि. फये 05 भंकर लाल
- (8) " साह लाल खैती एड. अभि. अ. Om
- (9) " मनी लाल SCA-II मनी लाल
- (10) " अशोक एड. Sawaland [Signature]
- (11)
- (12)

Kojan सरपंच

C.E. ग्राम पंचायत रसीदपुरा पं.स. धोद (सीकर)

पुष्पजित प्रतिलिपि

(14) ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत रसीदपुरा
पं.स. धोद (सीकर)

(श्रीराम सिंह कृष्णियां)
उप वन संरक्षक

(Om Prakash)

(15) ~~विमल कुमार~~

(16) रामदेवा राम जाट 6376517524

(17) विकास कुमार 8290286200 विकास कुमार

(18) शिवदयाल 9784350589 शिवदयाल

(19) ~~विमल कुमार~~

(20) विमल कुमार ANM 8290527852 विमल कुमार

(21) विमला (आशा) 9057841064 विमला

(22) रामलखन 737425651 रामलखन

(23) Roshan Kumar 7023836601 Roshan

(24) लीला A.W.W. 9057635118 लीला

(25) अमृता देवी A.W.W. 7891712247 अमृता देवी

(26) सुमन A.W.H. 8502069005 सुमन

(27) सुदीप कुमार 7742789526 सुदीप

(28) अमृता देवी 7742789526 अमृता

(29) शीला 9829940555 शीला

(30) सुमीता 8003916350 सुमीता

(31) साबरे मल 9660074350

(32) राजेश कुमार 9667192900

(33) राजेश कुमार 8925514000

(34) देवेन्द्र सिंह 943067669

(35) देवेन्द्र सिंह 8005735855 देवेन्द्र सिंह

(36) शोभा कचन्दे 9799719537 शोभा कचन्दे

(37) अमृता देवी 9024347582

(38) अमृता देवी

- C.S.

प्रमाणित प्रतिलिपि
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत रवीन्द्रपुरा
पं.रा. धोंड (सीकर)

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)
उप वन संरक्षक
सीकर

(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Sikar

41	मनोज देवी	9724350589	मनोज
42	राजेश कुमार	939602066	राजेश
43	आनंद कुमार	9166264936	आनंद
44	होद राम कुमार	9166264936	होद
45	नारायण सिंह	9166921798	नारायण
46	बनारसी		बनारसी
47	परमेश्वरी	874 047004	परमेश
48	साधन	9057635118	साधन
49	Ram Lal	8890607471	Ram Lal
50	मोना राम	7568504559	मोना
51	जवली		जवली
52	गिरधारी लाल		गिरधारी
53	मदन लाल		मदन
54	ओमप्रकाश		ओम
55	नारायण-2		नारायण
56	रामसिंह		राम
57	अनिल लाल		अनिल
58	नारायण सिंह		नारायण
59	शुभला		शुभला
60	अशोक		अशोक
61	हनुमान		हनुमान
62	भागवान सिंह		भागवान
63	वन्दना राम		वन्दना
64	विद्या		विद्या
65	विद्या		विद्या
66	विद्या		विद्या
67	विद्या		विद्या
68	विद्या		विद्या
69	विद्या		विद्या
70	विद्या		विद्या

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत रसीदपुरा
पं.स. धोद (सीकर)

(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)

11 परदेस दीपा

सारिता

12 भागवती

संतोष

73 राजकुमार

[Signature]

74 नेमीश

7357621418

75 विमला देवी

विमला

76 महेश

महेश

77 महेश

महेश

78 अश्वपति

7568667938

अश्वपति

79 मुखाष

मुखाष

80 सुरेश कुमार - 9660054288

सुरेश कुमार

81 मनोज

मनोज

82 रामदास

रामदास

83 विद्याधर

विद्याधर

84 रामनिवास

रामनिवास

85 राजकान्त सिंह

9351160424

राजकान्त सिंह

86 राजनील

राजनील

87 बाबूलाल

बाबूलाल

88 महेश कुमार

महेश कुमार

89 हरी राम

हरी राम

90 राजेश कुमार

राजेश कुमार

91 सुशीला देवी

सुशीला देवी

92 अश्वमेध

अश्वमेध

93 विद्यालाल

विद्यालाल

94 मनोरमा देवी

मनोरमा देवी

95 मंजु देवी

मंजु देवी

प्रमाणित छात्रलिपि

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत रसीदपुरा
प.स. घोड (सीकर)

C.S.
[Signature]
(डीरेन्ड सिंह कृष्णिया)
उप वन संरक्षक
सीकर

[Signature]
(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)
P.O. L. Siker

96	रामलाल		राज
97	सुरेंद्र कुमार		सुरेंद्र
98	शिवधाम		शिव
99	परमेश्वर लाल		परम
100	विजय		विजय
101	महापाल		महा
102	महेश मल		Mahesh
103	नारन राम		नारन
104	बिरदा राम		बिरदा
105	मोती राम		मोती
106	रामचन्द्र		राम
107	अनिल कुमार		अनिल
108	धर्मपाल		धर्म
109	अमीय-3		अमीय
110	विक्रम कुमार		Vikram
111	दीपू राम		दीपू
112	शिवपाल		शिव
113	गिरधारी लाल		गिरधारी
114	कुलडा राम		कुलडा
115	पीरवर मल		पीरवर
116	महावीर धाम	महावीर	महावीर
117	गीता देवी		गीता
118	सजना देवी		सजना
119	कृष्ण कुमार		कृष्ण
120	परम राम	9828793678	परम
121	मुकेश		मुकेश
122	मोहन लाल		मोहन
123	मंसू लाल		मंसू
124	मधु देवी		मधु
125	कमला	966063482	कमला

124	हीरा लाल		डी
125	हम लाल	9293313023	ई
126	गणेश	774212/228	जी
127	गोप मूल		घा
128	सागोती देवी		भा
129	उत्तरीक कुमार		मथो
130	महेश	7568812241	मला
133	नाथ राम		धोपा
134	दा प्रेश कुमार		
135	रोहित नाथ	7014908345	
136	शंकर लाल		शक
137	नाथ चंद		हार
138	अमर काश		मो
139	विजय लाल		विजय
140	योगेश		पुलक
141	मनोज	7518691070	मनोज
142	सुनील		सुनील
143	अंकित		अंकित
144	भवरी देवी		अवि
145	अन्नेसिंह	9828599370	
146	गोवर्धन	9887491804	गोवर्धन
147	इतेश	8003916350	इतेश
148	महेश रणवीर	9610001206	महेश
149	मनोहर	6375585830	मनोहर
150	मनोज	6378728382	मनोज
151	मनमरी देवी		मनमरी
152	विनोद कुमार		विनोद
153	श्रीमती देवी		श्रीमती

प्रशासनिक प्रमोशन
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत रसीदपुरा
पं.स. घोद (सीकर)

C.S.
(वीरेंद्र सिंह कृष्णिया)
उप वन संरक्षक
सीकर

(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)
R.S.V.P.M.I., Sikar

ग्राम सभा दिनांक 16/09/2022

Date Page 183

आज दिनांक 16/09/2022 को ग्राम पंचायत रसीदपुरा में सरपंच महोदय श्रीमति पूजा ओला की अध्यक्षता में ग्राम सभा की 60 सर्वप्रथम पूर्व बैठक कापवाही से पदका (मुद्राप गण) जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया निम्नानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गये :-

प्रस्ताव संख्या (I) सरपंच श्रीमति पूजा ओला ने ग्राम सभा को सूचना कराया की श्रीमान विकास इन्डिया महोदय पंचायत समिति कोट का पत्रांक 60 दिनांक 13/09/2022 प्राप्त हुआ है जिसमें राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (Rajasthan State Power Corporation Ltd) of 132 KV STC District - Lakshminagar Line At 132 KV Grid Substation के निर्माण हेतु खसरा नं० 588 रकबा 3.67 है मे से 0.1026 है. भूमि के प्रत्यक्ष हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत FRA के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत रसीदपुरा की ग्राम सभा की बैठक में अनुमति प्रमाण पत्र च्याहा गया है जिस पर ग्राम सभा की बैठक से सविस्तर चर्चा के दौरान यह प्रमाण पत्र है कि प्रस्तावित भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 में वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का कोई भी दावा ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि पर कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का कर्मान्ते कोई निवास नहीं है। तथा इनका कोई हित प्रभावित नहीं हो रहा है, ग्राम पंचायत रसीदपुरा की ग्राम सभा की बैठक द्वारा सदन में पिका (विमर्श कर निर्णय लिखा की ग्राम रसीदपुरा में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि० अरा Construction for L10 of 132 KV STC District Lakshminagar Line At 132 KV Grid Substation के निर्माण हेतु अनुमति प्रमाण पत्र सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जायी किया जाना तय हुआ।

प्रस्ताव संख्या (II) सरपंच श्रीमति पूजा ओला द्वारा प्रस्ताव च्याहा गया की श्रीमान वाट रसीदपुरा में जनसुदृढीकरण द्वारा उपकरण निर्माण कराया गया है।

Om Prakash
Executive Engineer (T&C)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत रसीदपुरा
प.स. घोद (सीकर)

C.S.

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु० सीकर

क्रमांक / राजस्व / डायवर्जन / 2022 / (२००)

दिनांक: 18.10.2022

वनाधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत एफ.आर.ए. के संबंध में गठित उपखण्ड स्तरीय कमेटी धोद मु. सीकर की बैठक दिनांक 18.10.2022 का कार्यवाही विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 एवं 2008 के नियम 5 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय कमेटी धोद मु० सीकर की बैठक आज दिनांक 18.10.2022 (मंगलवार) को प्रातः 11.00 बजे श्री मिथलेश कुमार उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. तहसीलदार सीकर ग्रामीण
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति धोद मु० सीकर
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी सीकर
4. प्रतिनिधि ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी धोद सीकर
5. श्री बन्शीलाल पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं. 15 सिहोट बड़ी पंचायत समिति धोद
6. श्रीमती प्रमोद देवी पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं. 27 मण्डावरा पंचायत समिति धोद
7. श्री भागीरथ नल पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं. 40 बिडोली पंचायत समिति धोद

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा वनाधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 एवं 2008 में वर्णित उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा तय किये जाने वाले कार्यों पर चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया इस बैठक में निम्नानुसार एजेन्डे पर विचार विमर्श किया गया।

प्रकरण का नाम	खसरा नं. व रकबा नं. में से प्रयुक्त भूमि
"construction For LILO of 132 KV S/C sikar laxmangarh line @ 132 KV GSS Rasidpura" जिसका कार्य राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निर्माण निगम लिमिटेड सीकर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है जिसमें राजस्व ग्राम रसीदपुरा तहसील धोद की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 588 रकबा 3.67 है. में से 0.1026 है. भूमि का एफ.आर.ए. के संबंध में है।	तहसीलदार धोद की रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 588 रकबा 3.67 है. में से 0.1026 है. भूमि की खातेदारी/किस्म गैर गुमकीन सड़क बताया है

उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि का उपयोग लेने हेतु संबंधित क्षेत्र में कोई अधिकारों की मान्यता में वर्णित अनुसूचित जनजातियों या अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई समूह या परिवार इस क्षेत्र में निवास नहीं करता है। ऐसे जनजातियों या समूहों का कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है, कोई दावा प्रस्तावित या लाम्बित नहीं है। प्रस्तावित भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित भी प्रभावित नहीं होती है। अतः उक्त भूमि प्रत्यावर्तन में इस अधिनियम की कोई धारा प्रभावित नहीं होती है।

(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)
B.R.V.P.N.L., Sikar

(वीरेंद्र सिंह कुणिया)
उप वन संरक्षक
सीकर

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर
3. तहसीलदार धोद गु० सीकर
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति धोद मु० सीकर
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी सीकर
6. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी धोद सीकर
7. श्री बन्शीलाल पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं. 15 सिहोट बड़ी पंचायत समिति धोद
8. श्रीमती प्रमोद देवी पंचायत समिति सदस्या, वार्ड नं. 27 मण्डावरा पंचायत समिति धोद
9. श्री भागीरथ मल पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं. 40 बिडोली पंचायत समिति धोद

C.S.

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Om Prakash
(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)
R.B.M.P.S., Sikar


(वीरेन्द्र सिंह कुष्णिग्या)
उप वन संरक्षक
सीकर

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 एवं 2008 के नियम 5 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय निगरानी समिति घोट मु० सीकर की बैठक दिनांक 18.10.2022 (मंगलवार) को प्रातः 11.00 बजे उपखण्ड कार्यालय घोट मु० सीकर में उपखण्ड अधिकारी घोट की अध्यक्षता में की गई जिसमें निम्नानुसार अधिकारी / सदस्यगण उपस्थित हुए :-

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री विद्यलेश कुमार	उपखण्ड अधिकारी घोट मु० सीकर	
2.	श्री अदिनाश	तहसीलदार सीकर ग्रामीण	
3.	श्री महावीर प्रसाद	विकास अधिकारी प. रा. घोट	
4.	श्री भीम सिंह यादव	क्षेत्रीय वन अधिकारी सीकर	
5.	श्रीमती विमला	सूचना सहायक कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, घोट	
6.	श्री बन्दी लाल	पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं. 15 सिहोट बड़ी	
7.	श्रीमती प्रमोद देवी	पंचायत समिति सदस्या, वार्ड नं. 27 मण्डावरा	
8.	श्री भारीरथ मल	पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं. 40 विडोली	

C.S.


(Om Prakash)
 Executive Engineer (T&C)
 R.R.V.P.N.L., Sikar


 (चिरंजीव सिंह कृष्णियां)
 उप वन संरक्षक
 सीकर

Condition-~~XI~~

Full Title of the Project: Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan

File No. : FP/RJ/TRANS/148624/2021

Date of Proposal : 26.10.2021

Applied Area : 0.1026 ha.

UNDERTAKING FOR COMPENSATORY AFFORESTATION

It is to certify that I/We **Om Prakash**, Executive Engineer, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Sikar, (Raj.) have applied for the proposal of "Diversion of 0.1026 Ha. Forest Land for Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan

I/we hereby undertakes that "Compensatory Afforestation shall be taken up by the forest department over 0.2052 Ha. Of degraded Forest land by plantation of minimum 100 saplings and maintained for 10 years at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The user agency is fully agreed upon".

Place: Sikar

Date: 29.12.22

Om Prakash
(Om Prakash)

Executive Engineer (T&C)

R.R.V.P.N.L., Sikar

Signature of User Agency

Office Seal

C.S.
↙
(वीरेंद्र सिंह कुण्डिया)
उप वन संरक्षक
सीकर

Counter signed by:-

Deputy Conservator of forest

Sikar

Office Seal _____

Condition-XII

Full Title of the Project: Construction for L.H.O of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan

File No. : FP/RJ/TRANS/148624/2021

Date of Proposal : 26.10.2021

Applied Area : 0.1026 ha.

UNDERTAKING TO PAY NET PRESENT VALUE OF FOREST AREA

It is to certify that I/We **Om Prakash**, Executive Engineer, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Sikar, (Raj.) have applied for proposal of "Diversion of 0.1026 Ha. Forest Land for Construction for L.H.O of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan.

We have deposited NPV amount of Rs. 98268 /- in compliance of condition no. 12 in CAMPA Fund as order by Hon'ble Supreme Court in writ petition (Civil) 2002/1995 under I.A. No. 566 & Government of India letter No. 5-3/2007 -FC dated 05.02.2009 and letter No. 12-2/2010 CAMPA dated 09.06.2016. N.P.V. and others funds as instructed above will be deposited through e-challan generated at compensatory afforestation fund management.

Place: Sikar

Date:

C.S.
उप वन संरक्षक
सीकर (राज.)


(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Sikar
Signature of User Agency
Office Seal

Counter signed by:-
Deputy Conservator of forest
Sikar
Office Seal

क्रमांक: प 1 (25) वन/2022

जयपुर, दिनांक- 13 APR 2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoPF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय- Diversion of 0.1026 ha. of forest land in favour of RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED for Construction for LILO of 132kV S/C Sikar-Laxmangarh Line at 132 KV GSS Rasidpura , District - Sikar(Rajasthan)

संदर्भ- आपका पत्रांक एफ 14 (Trans)2021/एफसीए/प्रमुवरा/447 दिनांक 27.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरित प्रस्ताव में अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, लि (प्रयोजन अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में 132 के.वी एस/सी सीकर-लक्ष्मणगढ़ ट्रांसमिशन लाईन, जिला श्री सीकर हेतु 0.1026 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बावत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1026 ha. of forest land in favour of RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED for Construction for LILO of 132kV S/C Sikar-Laxmangarh Line at 132 KV GSS Rasidpura , District -Sikar(Rajasthan) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है:-


1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/कैरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वृक्षारोपण करावा जावेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।

(Om Prakash)

C.S.





12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी विधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रकथन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMEWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/युटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सौदागतिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदुपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि: सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी की दरों में वढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
14. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
15. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाये तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित कराये एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

 (वी. प्रवीण)
 शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जाये।
4. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
5. उप वन संरक्षक, सीकर।
6. अधिशायी अभियंता टी.एंड सी. राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. फतेहपुर रोड, शबलपुरा सीकर।
7. रक्षित पत्रावली।


 (Om Prakash)
 Executive Engineer (T&C)
 R.R.V.P.N.L., Sikar

C.S.

 (चिरंजित सिंह कृष्णियां)
 उप वन संरक्षक
 सीकर

//
 (रामावतार नैगावत)
 सहायक शासन सचिव

Asst (7da) Sikar
 Prepare for
 Payment
 26/05/22

संशोधित मांग-पत्र

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email : def.sikar.forest@rajasthan.gov.in, defsikar@gmail.com)

क्रमांक : एफ ()एफसीए/उवसंसी/2021-22/ 58 93

दिनांक: 26/05/22

निमित्त:-

अधिशाषी अभियन्ता,
 टी. एण्ड सी, राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.
 फतेहपुर रोड, सीकर।

विषय:- Diversion of 0.1026 Ha. of forest land in favour of RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED for Construction for LILO of 132 kv S/C Sikar-Laxmangarh Line at 132 KV GSS Rasidpura, Dist-Sikar.
 (Proposal no. FP/RJ/TRANS/148624/2021)

संदर्भ:- राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प.1 (25)वन/2022 जयपुर दिनांक 13.04.2022 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 5148 दिनांक 11.05.22

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आलौच्य प्रकरण में राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प.1 (25)वन/2022 जयपुर दिनांक 13.04.2022 द्वारा 0.1026 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः राजस्थान सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना कर पालना रिपोर्ट निम्नानुसार अविलम्ब भिजवावें :-

1. शर्त संख्या 09 की पालना में यूजर एजेंसी विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु राशि रुपये 320119/ (In words Three Lakh Twenty thousand one hundred ninteen only) OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करावे।
2. शर्त संख्या 10 की पालना में यूजर एजेंसी संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से एफआरए, 2006 की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाये तथा साथ ही एफआरए, 2006 की सम्पूर्ण कार्यवाही विवरण पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या 11 की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 0.50 है० वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) एवं 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु निम्नानुसार राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करावें :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि रु 104825/-(In Words One lakh four thousand eight hundred twenty five rupees only)
4. शर्त संख्या 12 की पालना में एनपीवी राशि 0.1026 ha. x 9.5778 lac per ha. = 98268 /-(In Words Ninty eight thousand two hundred sixty eight rupees only) राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करावे।

C.S.

(कीरेन्द्र सिंह कुणिया)
 उप वन संरक्षक
 सीकर

5. शर्त संख्या 15 की पालना में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक रागाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्रों की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या 09, 11 व 12 की पालना में कुल राशि = 523212/- (In Words Five lakh Twenty three thousand Two hundred Twelve rupees only) कैम्पा फण्ड में जरिये वेबपोर्टल OSMPWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करावे।

अतः शर्त संख्या 1 से 08 एवं 13, 14 में उल्लेखित बिन्दुओं के क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 13.04.2022 (प्रति संलग्न) में अधिरोपित शर्तों की पालना रिपोर्ट मय अंडरटैकिंग 04 प्रतियों एवं शर्त संख्या 09, 11 व 12 की पालना में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई-चालान द्वारा ऑनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति मू.टी.आर. संख्या के साथ उपलब्ध करावें ताकि आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/पालना/वचनबद्धता अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सकें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(भीमा राम चौधरी)

उप वन संरक्षक,

सीकर

दिनांक:-

क्रमांक एफ सम/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।
3. सहायक वन संरक्षक, सीकर/क्षेत्रीय वन अधिकारी, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का गैरवानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं हो, यह सुनिश्चित करें।

C.S.

(वीरेन्द्र सिंह कुमियां)
उप वन संरक्षक
सीकर

(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Sikar

(भीमा राम चौधरी)

उप वन संरक्षक,

सीकर

3

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 31-05-2022

Agency Name.	RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
Application No.	64148624334
MoEF/SG File No.	1(25)FOREST/2022
Location.	RAJASTHAN
Address.	Vidyut Bhawan Jyoti Nagar,Jaipur,Jaipur
Amount(in Rs)	523212/-

Amount in Words: Five Lakh Twenty-Three Thousand Two Hundred and Twelve Rupees - Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1508564148624334 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 31-05-2022

Agency Name.	RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
Application No.	64148624334
MoEF/SG File No.	1(25)FOREST/2022
Location	RAJASTHAN
Address:	Vidyut Bhawan Jyoti Nagar,Jaipur,Jaipur
Amount(in Rs)	523212/-

Amount in Words: Five Lakh Twenty-Three Thousand Two Hundred and Twelve Rupees - Only


NEFT/RTGS to be made as per following details;


Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1508564148624334 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corphank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com


(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Sikar

C.S.

(दीनेन्द्र सिंह कृष्णिया)
उप वन संरक्षक
सीकर

39

Welcome : RRVPNL (650385) [Know More](#)

P K Mundotiya

You are here: / Reports / Query By Account

e-PayOrder Details

e-PayOrder Details

e-PayOrder Number CNABZVMQ6

Debit Status Success

03-Jun-2022

Rajasthan Campa New Delhi

Five Lakhs Twenty Three Thousand Two Hundred and Twelve only

5,23,212.00

00000061321650858

SIKAR COLLECTORATE

Satish Kumar
MAKER
"CNABZVMQ6"

P K Mundotiya
Authorizer 1

Counterfoil Description

Payment towards Invoice Or Bill

Transaction Type

NEFT Funds transfer

GSTIN Number

Debit Account Details

Account No.	Branch	Amount
00000061321650858	SIKAR COLLECTORATE	5,23,212.00

Credit Account Details

C.S.

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSC Code	Amount	Credit Status	UTR No.

Handwritten signature/initials

6/23/22, 2:51 PM

State Bank of India

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/FSOCode	Amount	Credit Status	UTR No.
Rajasthan Campa New Delhi/1508564148624334	NEW DELHI LODHI COMPLEX/NEW DELHI LODHI COMPLEX/UBIN0903710	5,23,212.00	Credited to Beneficiary Account	SBIN122154482491

[Privacy Statement](#) [Terms of Service \(Terms & Conditions\)](#)

© State Bank of India

Site best viewed at 1024 x 768 resolution in IE 10 +, Mozilla 35 +, Google Chrome 35 +

Condition-XIII

Full Title of the Project: Construction for L.I.O of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan

File No. : FP/RJ/TRANS/148624/2021

Date of Proposal : 26.10.2021

Applied Area : 0.1026 ha.

UNDERTAKING TO PAY ANY INCREASE IN NET PRESENT VALUE OF FOREST AREA

It is to certify that I/We **Om Prakash**, Executive Engineer, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Sikar, (Raj.) have applied for proposal of "Diversion of **0.1026 Ha.** Forest Land for Construction for L.I.O of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan.


We have deposited NPV amount of Rs. 98268/- in compliance of condition no. 12 in CAMPA Fund. I/We, hereby undertake that "to pay any increase in the net present value (NPV) of the above forest land, if so determined as per the decision of the Hon'ble Supreme Court for Construction for L.I.O of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar Rajasthan.

Place: Sikar

Date:

C.S.

उप वन संरक्षक
सीकर (राज.)


(Om Prakash)

Executive Engineer (T & F.)
R.R.V.P.N.L., Sikar
Signature of User Agency
Office Seal

Counter signed by:-
Deputy Conservator of Forest
Sikar
Office Seal

शपथ-पत्र


मैं ओम प्रकाश, अधिशाषी अभियन्ता (टी. एण्ड सी.) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, सीकर, तहसील व जिला सीकर राजस्थान का हूँ जो कि निम्न बयान प्रस्तुत करता हूँ कि:-

- 1:- यह कि शासन सचिव, वन विभाग राज. सरकार के पत्र क्रमांक —: प. 1 (25) वन /2022 जयपुर दिनांक 13 अप्रैल 2022के संदर्भ में प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/TRANS/148624/2021) के अन्तर्गत उपरोक्त पत्र की अधोषित शर्तों कि क्रम संख्या 01 से 15 तक की सभी विधिवत रूप से स्वीकृत व मान्य है।
- 2:- यह कि उक्त शर्तों क समर्थन व अनुपालना में यह शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
- 3:- यह कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त सूचनाये बिल्कुल सही व सत्य है।



शपथ-गृहिता
(Om Prakash)

Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Sikar

मैं उक्त शपथ-पत्र गृहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि प्रस्तुत शपथ-पत्र में वर्णित तथ्य सही व सत्य है।


शपथ-गृहिता
(Om Prakash)

Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Sikar


(चिरेन्द्र सिंह कुशिया)
उप वन संरक्षक
सीकर


UNDERTAKING (UPLOADING OF COMPLIANCE REPORT)


It is to certify that I/We **Om Prakash**, Executive Engineer, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Sikar, (Raj.) have applied for the purpose "Diversion of 0.1026 Ha. Forest Land for construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan."

I/we hereby undertake that "the compliance report will be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>)".

C.S.


(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Sikar


(वीरेन्द्र सिंह कुण्डिया)
उप वन संरक्षक
सीकर



समय मृत्यु का कर्मचारियों को शपथ भी कोई भी विद्युत से पहले सुरक्षा विच्छेद की मस्तिष्क शांत मे दस्ताने पहनने, के बिन्दुओं को के दौरान सुरक्षा

उपकरणों से संबंधित परिचर्चा भी की गई। अधिशासी अभियंता आर मीणा ने बताया कि पूरे सप्ताह तक अजमेर डिस्कॉम के कार्मिकों को सुरक्षा उपकरणों की उपयोगिता तथा निर्देशों / नियमों एवं प्रावधानों की पालना हेतु जागरूक किया जाएगा, ताकि विद्युत से होने वाली जन-धन की क्षति को रोका जा सके। इस दौरान जेईएन अशोक कुमार, जेईएन विजय सिंह सहित विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

के 12

चौमू की पटरी पर अब दौड़ेगी विकास की गाड़ी

अपनी राय

सुरेश बंसल ने कहा पास बिना बोर्ड मीटिंग गलत है, पास करवाया होगा में रखने का कोई प्रयों का गठन नहीं होना



में भी सत्ता पक्ष को विपक्षी प्रत्याशी जीत वाई में सत्ता पक्ष के मिले हैं अगर सत्ता है तो उस वाई में रुई वर्षों बाद कांग्रेस न्हें विकास कार्य खूब था का बोर्ड था तो भी जेपो द्वारा खूब कार्य

चौमू (निरं)। चौमू की पटरी पर विकास को दौड़ाते हुए निर्माण कार्य की नींव रखने वाले विधायक रामलाल शर्मा ने स्वदेशी सोशल मीडिया मंच, कू ऐप पर पोस्ट करते हुए कहा कि 2018 में आप सभी के बहुमूल्य आशीर्वाद से फिर से विजयी होकर के विधानसभा पहुंचा तो मैंने सभी को वादा किया था कि आपके हक का एक भी पैसा मैं किसी और को नहीं ले जाने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए सड़क से सदन तक संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े। जिसका प्रयास और परिणाम आपके समक्ष है। मेरा यह प्रयास अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने संकल्प लेते हुए कहा कि मैं तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा, जब तक चौमू विधानसभा का समग्र, सुव्यवस्थित विकास नहीं हो जाता है।

पक्ष विपक्ष के बीच इसका मतलब यह बाद भी जुबानी जंग बंद होना चाहिए।

गर पालिका की बोर्ड को 13 अप्रैल को आयोजित

के बाद से ही पक्ष और में जुबानी जंग व एक ऊपर आरोप-प्रत्यारोप

वन विभाग
जयपुर, दिनांक- 13 APR 2022
क्रमांक: प. 1 (25) वन / 2022
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।
विषय- Division of 0.1026 ha. of forest land in favour of RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED for Construction for LILO of 132KV S/C Sikar-Laxmangarh Line at 132 KV GSS Rasidpura, District- Sikar (Rajasthan)
संदर्भ- आकां पत्रांक एफ 14 (Trans)2021 / एकरीए / प्रनुवस / 447 दिनांक 27.01.2022

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में अधिशासी अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, लि. (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत पारा-2 में 132 के.वी. एच/सी सीकर-लक्ष्मणगढ़ ट्रांसमिशन लाईन, जिला श्री सीकर हेतु 0.1026 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति वाही गई है। फोडल अधिकारी वन संरक्षण अभिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पारा-2 में स्वीकृत स्वीकृति संबंध जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में Division of 0.1026 ha. of forest land in favour of RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED for Construction for LILO of 132KV S/C Sikar-Laxmangarh Line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar (Rajasthan) की सैदान्तिक स्वीकृति बिना किसी युष् के पालन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है:-

- वन भूमि की नैदान्तिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- वायक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को युष्को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होने।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसीई गैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटना या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा विद्या निर्देशों का पालन करेगा।
- उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे / बौने पौधों (श्रीधारीय मकत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण करावा जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण, सैदान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एक आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करवेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पालन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पालन होने पर पालन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरो को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सुचित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिपिल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 586 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 / 2007 -एफ सी. दिनांक 05.02.2008 तथा पत्र 12-2 / 2010-CAMPA दिनांक 09.06.2010 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधा रोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सुचित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान / यूटीआर संख्या / एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैदान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मद्दवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
- भारत सरकार के पत्रांक 7-23 / 2012 / एकरी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन टिम्बुलन द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाई तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

श.रा.वि.प.नि. / TR-6423/2022
राज.संवा.व/सी/22/880

भवदीय,
(बी. प्रवीण)
शासन सचिव

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका, रिंगस, जिला-सीकर (राज.) Email - ringas.jaipur@gmail.com

क्रमांक: व.प.सी./2022-23/260

प्रास 5 (निधाय-6/(21))
- आपति आमंत्रण सूचना :-

सर्वप्रथम को सूचित किया जाता है कि निम्न स्थिति में वार्ड 69 के तहत नगरपालिका रिंगस जिला सीकर में भूमि के अधिकारों के अन्वयेन को अनुकूल को लिए आवेदन पर अब मान्य प्रस्तुत कर नीचे वर्णित भूमि में के अपने अधिकार आवासीय/वणिज्य प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपरोक्त पर्यटन स्थल अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रेषित करने के लिए अनुरोध किया है-

वर्ष 2018 जमा सीमाबद्ध विस्तार अधिकार भू-खंड सं.

क्र. सं.	वाय प्राप्ति	खसत संख्या	क्षेत्रफल/प्रयोजन	स्थान	वैलर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1	पान कंठर पॉल टैब सिंघ एवं श्वानी सिंघ झरणा, पुर टैब सिंघ झरणा, रिंगस	4478	190.62 वर्ग मी. (आवासीय)	श्वानी की व. रोडकला, वार्ड 29 रिंगस	गुल्लोवा वैद्यनाथ का पकन	रामेश सिंघ, विक्रम सिंघ का पकन	रगत	नरपत का पकन
2	रामेश सिंघ पुर विक्रम सिंघ झरणा एवं विक्रम सिंघ झरणा पुर विक्रम सिंघ झरणा, रिंगस	4478	89.18 वर्ग मी. (आवासीय)	श्वानी की व. रोडकला, वार्ड 29 रिंगस	पान कंठर एवं श्वानी सिंघ झरणा का पकन	रगत	शरणा	गुल्लोवा का पकन
3	पान कंठर पॉल टैब सिंघ एवं श्वानी सिंघ झरणा पुर टैब सिंघ झरणा, रिंगस	4478	136.65 वर्ग मी. (आवासीय)	श्वानी की व. रोडकला, वार्ड 29 रिंगस	रामेश सिंघ एवं विक्रम सिंघ का पकन एवं श्वानी सिंघ झरणा का पकन	शरणा का पकन	शुभेन सिंघ, किनेव सिंघ का पकन	गुल्लोवा एवं नरपत गुल्लोवा का पकन
4	रामेश सिंघ पुर विक्रम सिंघ झरणा एवं विक्रम सिंघ झरणा पुर विक्रम सिंघ झरणा, रिंगस	4478	60.55 वर्ग मी. (आवासीय)	श्वानी की व. रोडकला, वार्ड 29 रिंगस	शरणा का पकन	शरणा का पकन	शरणा का पकन	गुल्लोवा का पकन
5	सुरीश पॉल टैब सिंघ, गुल्लोवा, रिंगस	3633	95.74 वर्ग मी. (आवासीय)	कावानी का रोडकला, वार्ड नं. 21 रिंगस	शरणा	गुल्लोवा गुल्लोवा का पकन	10 फीट चौड़ा पकन	नरपत लाल का पकन
6	लक्ष्मण शर्मा पुर शरणा का पकन, रिंगस	3322	60.43 वर्ग मी. (आवासीय)	श्वानी की व. रोडकला, वार्ड नं. 24 रिंगस	शरणा का पकन	शरणा का पकन	शरणा का पकन	शरणा का पकन

ing the CM's order. The decision after discussing it with senior members of the organisation.

"This initiative was taken to convey the message to other religious places in the district to stop using loudspeakers," he said, adding this was the first time that loudspeakers were used at the temple of Lord Krishna.

The temple is one of the few big shrines in Mathura where loudspeakers are used for aarti every morning at 5:30 am. Many other temples use mikes with small speakers to conduct the morning aarti. Earlier this week, the CM had

permitted permission would be given to anyone for installing loudspeakers at any new site. "Though mikes can be used, make sure that nothing can be heard outside the premises. Other people should not face any problem," the CM had stated.

The move followed a similar and inquired about the appropriate sound intensity, as per the directions of the Supreme Court.

The MLA also directed the additional district magistrate to conduct a physical examination of loudspeakers to check whether they abide by the norms.

45

SEARCH
next of India
andal.

FBS ID
2-04-2022
Due Date
18-05-2022
18-05-2022
19-05-2022
Administrative Officer

HOUSING
curitisation
Interest Act,
th Rule 3 of
Police dated
ANAM VM
Justice being
ndred Fifty
3382505 as
cept of the
given to the
symbolic
of powers
th Rule 8 of
ution
i subje to
amount of
ndred Fifty
ection 13 of
G 1047.34
MON AND
TITLE AND
PARKING
ONGWITH
S IN "MP
HAGWATI
AN
Sd/-
ed Officer
E LIMITED

**राजस्थान सरकार
वन विभाग**

क्रमांक: प. 1 (25) वन / 2022
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoPFF)
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक- 13 APR 2022

विषय:- Diversion of 0.1026 ha. of forestland in favour of RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED for Construction for LILO of 132KV S/C Sikar-Laxmangarh Line at 132 KV GSS Rasidpura, District- Sikar (Rajasthan)
संदर्भ:- अयका पत्रांक एफ 44 (Trans)2021 / एफटीए / प्रपुपरा / 447 दिनांक 27.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयसंबंधित संदर्भित प्रस्ताव में अधिशासी अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, लि. (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में 132 के.वी. एस/सी सीकर-लक्ष्मणगढ़ ट्रांसमिशन लाईन, जिला सी कर क्षेत्र हेतु 0.1026 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1026 ha. of forest land in favour of RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED for Construction for LILO of 132KV S/C Sikar-Laxmangarh Line at 132 KV GSS Rasidpura, District-Sikar (Rajasthan) की सौदागिक स्वीकृति बिना किसी पूरा के पालन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है:-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्थितियों एवं जीव जन्तुओं की किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होने।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस / कोरोसिन तेल आदि की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
- उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे / बड़े पौधे (औषधीय महत्व) के वृक्षाशोषण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यव पर वृक्षाशोषण करावा जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण के व्यव पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पालन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पालन होने पर पालन किये जाने वाले वृक्षों का दत्त गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षाशोषण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-पालान द्वारा जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 866 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 / 2007 -एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2 / 2010 -CAMP दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी विधियां प्रतिपूर्ति पौधाशोषण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-पालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके तत्परात ई-पालान की अंश प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक बालान / ग्युटीआर संख्या / एनईएफटी नम्बर की धाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आस्था (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम रत्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा ही गई इत अनुमति का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
- भारत सरकार के पत्रांक 7-23 / 2012 / एफ.सी दिनांक 24.07.2013 से माननीय वीन द्विवेदन द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को वृजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्तर उपलब्ध करावा सुनिश्चित करे।

स.रा.वि.प्र.नि. / TR-5423/2022
राज संवा.व/सी/22/880

मनदीय,
(वी. प्रदीप)
राशन सचिव

(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)

2.5 crore in 12-14 group have been jabbed, 17 lakh fully vaccinated

New Delhi: While Bharat Biotech has also sought emergency authorisation for use of Covaxin in children aged 2-11, the regulatory subject expert committee on Covid jabs asked the company to submit additional data from trials to review the application. Currently, both Corbevax and Covaxin can be used in children 12 years and above. "The subject expert committee on Covid-19 of the CDSCO which deliberated on Biological E's EUA application has recommended granting emergency use authorisation for use of Corbevax in the age group of five to 11 years," a source said. India began inoculating children aged 12-14 on March 16.

So far, around 2.5 crore adolescents in 12-14 years' age have initiated vaccination against Covid-19, whereas 17.25 lakh have been fully vaccinated with two doses. Among those in 15-18 years' age group, 5.8 crore youngsters have taken at least their first dose, whereas over four crore are fully immunised. TNN

West Bengal Housing Infrastructure Development Corporation Limited
(A Govt. of West Bengal Undertaking)

Abridged E-auction Notice for leasing out 7.26 Acres of land in Plot No: CBD-119 & 120 in CBD area of New Town, Kolkata for 99 years lease hold basis for setting up "Medical College and Hospital or Health Institution" [e-Auction ID : 2022_WB_2380], dtd. 21.04.2021

PLOT NO.	PLOT SIZE	E-AUCTION DATE	LAST DATE OF APPLICATION
CBD-119 & 120	7.26 Acres	31.05.2022	24.05.2022 up to 14:00 hrs.

For details, please visit <https://eauction.gov.in> or www.wbhidcoltd.com
Contact No : 2324-6032/6031/6037/6038

KARNATAKA STATE MEDICAL SUPPLIES CORPORATION LIMITED
PHI Building, Opp. To SJP Polytechnic, K.R. Circle, Sheshadri Road, Bangalore-560001. Phone: +91-80-29619801
E-mail: md.ksmscl@gmail.com

No: HFW/KSMSCL/EQPT/COVID-19/3rd Wave/RTPCR-CONSU/98/2021-22 Date: 22/04/2022

TENDER NOTIFICATION

Ref: Tender Notification No: HFW/KSMSCL/EQPT/COVID-19/3rd Wave/RTPCR-CONSU/98/2021-22 Dated: 22-04-2022 (IFQ)

Nation wide Tender is invited through Invitation for Quotation (IFQ) System under KTTP Act 1999 and Rules 2000 for the following tenders:

1. Re-Tender for Supply of RTPCR Consumables for Covid-19.(IFQ)

The tenderers who are interested can participate in the IFQ through e-mail ksdlwscovid19.procurement@gmail.com and KSMSCL website. <https://www.ksmscl.kar.nic.in> Bidders may participate through KSMSCL Website system.

Details regarding EMD, Terms and Conditions and other information are available in the Tender Document, which can be downloaded from the KSMSCL website <https://www.ksmscl.kar.nic.in> from Date: **22-04-2022** the eligible tenderers shall submit their through IFQ for above mentioned tender. Further information if any may be obtained from this office.

Sd/- Managing Director,
KSMSCL, Bangalore.

DIPR/CP/RO/258/AAPL/2022-23

STAY PROTECTED FROM COVID-19, NO CARELESSNESS UNTIL THERE IS A CURE.

Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene

(वीरेंद्र सिंह कुरियारा)



RVPN
An ISO 9001:2015
Certified Company

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD.

[Corporate Identity Number (CIN):U40109RJ2000SGC016485]

Regd. Office: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur-302005

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (T&C)

Sabalpura, Fatehpur Road, Sikar (Raj.) 332001

E-mail:-se.tnc.sikar@rvpn.co.in, Website: www.energy.rajasthan.gov.in/rvpn

No: RVPNL/SE/T&C/ Sikar/Tech./ F. / D 1698

Date 22-12-2022

OFFICE- ORDER - (228)

Sh. Om Prakash, Executive Engineer (T&C), Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Sikar(Raj.) is hereby authorized to submit the Forest Case for Construction of LILO of 132 KV S/C Sikar – Laxmangarh Line at 132 KV GSS Rasidpura.

Specimen Signature attested.

Executive Engineer (T&C)
R.V.P.N.L., Sikar

Superintending Engineer (T&C)
Superintending Engineer (T&C)
R.V.P.N.L., Sikar
RRVPL, Sikar

Copy submitted/forwarded to the following for kind information and needful action please:-

- 1 The District Collector, Sikar.
- 2 The Deputy Conservator of Forest, Sikar.
- 3 The Executive Engineer (T&C), RVPN, Sikar.
4. The Assistant Engineer (T&C), RVPN, Sikar.

Superintending Engineer (T&C)
Superintending Engineer (T&C)
R.V.P.N.L., Sikar
RRVPL, Sikar

C.S.

(Om Prakash)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Sikar


(वीरेन्द्र सिंह कुण्डिया)
उप वन संरक्षक
सीकर

कार्यालय उप वन संरक्षक, सावली रोड, सीकर

Full Title of the Project : CONSTRUCTION FOR LILO OF 132 KV S/C SIKAR-LAXMANGARH
LINE AT 132 KV GSS RASIDPURA, DISTRICT- SIKAR(RAJ).
File No. : FP/RJ/TRANS/148624/2021
Date of Proposal : 26-10-2021

"No Violation Certificate"

It is to certify that No Violation of any of the conditions mentioned in letter no. 08/Raj002/2022-JPR Dt. 15.02.2022 have been done by user agency in this proposed diversion area.


Deputy Conservator of Forests
Sikar

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ 14(Trans)2021 / एफसीए / प्रमुखसं / 4495

दिनांक 16/11/23

मुख्य वन संरक्षक
जयपुर

विषय- Diversion of 0.1026 ha. of forest land in favour of RAJASTHAN
RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED for Construction of
LILO of 132KV S/C Sikar-Laxmangarh Line at 132 KV GSS
Rasidpura, District-Sikar, Rajasthan.
(Proposal No. FP/RJ/TRANS/148624/2021)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 81 दिनांक 05.01.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सदरभित से प्रेषित सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 13.04.2022 की पालना रिपोर्ट के परीक्षणोपरांत निम्नांकित कमियां पाई गई हैं:-

1. शर्त संख्या 9 की पालना में संलग्न वचनबद्धता में औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु जमा राशि 127387/- बताई गई है जब कि इस बाबत राशि 320119/- रुपये जमा हुए हैं। अतः विरोधाभासी दस्तावेजों को सही करावें।
2. शर्त 12, 13 की पालना में संलग्न वचनबद्धताओं में एनपीवी की राशि 127387/- रुपये बताई गई है जब कि एनपीवी हेतु 98268/- रुपये जमा हुए हैं। अतः विरोधाभासी दस्तावेजों को सही करावें।
3. प्रकरण को अभी ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। अतः इसकी पालना करावें।

उपर्युक्तानुसार सदरभित पत्र से प्राप्त पालना रिपोर्ट के दो मूल सैट वांछित पूर्तियों हेतु लौटाये जाते हैं।

संलग्न:- (दो सैट)।

भवदीया,

Shim

(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक

क्रमांक एफ 14(Trans)2021 / एफसीए / प्रमुखसं /

प्रतिलिपि:- भिन्न का वन वृत्तनाथ एंव आवश्यक कागजाती हेतु प्रेषित है-

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर राजस्थान

क्रमांक:- एफ 5() एफसीए/मुखसंज/2023/ 387

दिनांक:- 19/11/23

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 9, 12 व 13 की पालना में संलग्न वचनबद्धताओं को सही करावें। एवं प्रकरण को अभी ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अतः इसकी पालना करावे।

उपर्युक्तानुसार उक्त पालना रिपोर्ट के तीन मूल सैट वांछित पूर्तियों हेतु लौटाये जाते हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (3 सैट)

मुख्य वन संरक्षक
जयपुर

1500

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सावली रोड, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email : def.sikar.forest@rajasthan.gov.in, def.sikar@gmail.com)

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसंसी/2022-23/878

दिनांक 24/1/23

निमित्त-

✓ मुख्य वन संरक्षक,
अरावली भवन,
जयपुर।

विषय:-Construction for LILO of 132 KV S/C Sikar-Laxmangarh Line at 132 KV GSS
Rasidpura, District- Sikar.
(Proposal no. FP/RJ/TRANS/148624/2021)

संदर्भ - आपका पत्रांक 387 दिनांक 19.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वन भूमि डायवर्जन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/148624/2021 क्षेत्र 0.1026 है0 में अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 4495 दिनांक 16.01.2023 द्वारा लगाये गये आक्षेपों के क्रम में अधिशाषी अभियन्ता (टी0 एण्ड सी0), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, सीकर ने पत्रांक 436 दिनांक 23.01.2023 से प्रत्युत्तर निम्नानुसार प्रेषित किया है-

S.No	Essential Details Sought	Reply
1	शर्त संख्या 09 की पालना में संलग्न वचनबद्धता में औषधीय पौधों के वृक्षरोपण हेतु जमा राशि 127387/- बताई गई है जबकि इस बाबत राशि 320119/- रुपये जमा हुए हैं।	शर्त संख्या 09 की पालना में संलग्न वचनबद्धता में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।
2	शर्त संख्या 12, 13 की पालना में संलग्न वचनबद्धताओं में एनपीवी राशि 127387/- बताई गई है जबकि एनपीवी हेतु 98268/- रुपये जमा हुए हैं।	शर्त संख्या 12, 13 की पालना में संलग्न वचनबद्धताओं में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।
3	प्रकरण को अभी तक ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।	प्रकरण को ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)
उप वन संरक्षक,
सीकर